

01/8/25

पत्राण पेश हुई। शर्ची वकील उप०। 132 नम्बर
द्वारा पत्रांक 693 दिनांक 25/11/25 से रिपोर्ट
प्रेषित की गई। शर्ची वकील की बहस सुनी गई।
शर्ची वकील के कथन रहे कि राजस्व रिकॉर्ड में
शर्चीया का नाम मैमोदेवी दर्ज रिकॉर्ड है जो
गलत है जिसे दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक
है। हमने पत्राण पर उपलब्ध रिकॉर्ड व तहसीलदार
नम्बर की रिपोर्ट का अपलोफन किया गया।
से पाया गया कि मैमोदेवी एवं मैमो एक ही व्यक्ति
है। एवं मैमोदेवी पत्नि दीवानसिंह के स्थान पर मैमो
पत्नि दीवानसिंह जाति बंजारा शुद्ध बिये जाने की
अभिज्ञा भी की गई।



अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर प्रार्थना का नाम जमावकी के खाता
संख्या 397 (वाके नाम 557) में मेमोद्वी
पत्नि दीवानसिंह के स्थान पर मेमो पत्नि दीवानसिंह
जाति बंजारा किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व
रिकॉर्ड में अंकन करने की अनुमति प्रदान की
जाती है।
पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से
कम की जाकर दारिपल दफ्तर हो।
२१